राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–प्रथम

दिनांकः– 24.05.2018

कमांकः–एफएसएसए / 18 / 517

प्रभारी
सामान्य शाखा
जिला मुख्यालय जयपुर– प्रथम

विषयः– राजस्थान सीएम हैल्पलाईन पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के निस्तारण हेतु।
सन्दर्भः– आपका पत्रांक 1876 दिनांक 23.05.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न शिकायत सं. –05180533653762 के कम में लेख है कि दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर जयपुर मे प्रकाशित खबर "खादय सुरक्षा अधिकारी नमूने लेने में ही फेल, तीन माह में टारगेट का 50 प्रतिशत सैम्पल भी नहीं ले पाए" शीर्षक से दिनांक 06.05.2018 को छपी खबर में विकताओं के यहां खाद्य नमूने लिये जाने के सम्पूर्ण राजस्थान के संभागवार आकंडे दिये गये हैं। जिसमें जयपुर संभाग को 55.70 प्रतिशत दर्शाया गया हैं।
उल्लेखनीय है कि उक्त खबर में जिला जयपुर प्रथम क्षेत्र का अलग से कोई विवरण नहीं हैं। जिला जयपुर प्रथम मुख्यालय पर पदस्थापित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य नमूनाकरण के अतिरिक्त वीवीआईपी प्रोटोकॉल, माननीय न्यायालयों द्वारा साक्षी हेतू तलब करने व अन्य कार्य भी किये जाते हैं। जिला जयपुर प्रथम क्षेत्र से विगत 30.04.2018 तक 117 नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत लिये जाकर केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जॉच हेतू भिजवाये गये हैं।

अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जयपुर प्रथम

Scanned by CamScanner